CWC CO-TD0TECH/412/2020-TECHNICAL **Dated-24.08.2023**

क्षेत्रीय प्रबंधक /The Regional Manager
केंद्रीय भंडारण निगम /Central Warehousing Corporation
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
अहमदाबाद/Ahmedabad , **बेंगलुरु** / Bangalore, **भोपाल**/Bhopal, **चेन्नई**/Chennai, **चंडीगढ़**/Chandigarh, **दिल्ली** /Delhi, **हैदराबाद** /Hyderabad, **जयपुर**/Jaipur, **गुवाहाटी**/Guwahati, **कोच्ची**/KOCHI, **कोलकाता** /Kolkata, **लखनऊ** Lucknow ,**मुम्बई** / Mumbai/, **पटना**/Patna

विषय :- e -NWR जारी करने के सम्बन्ध में ।

अवगत हों कि WDRA द्वारा e-NWR (परक्राम्य वेयरहाउस रसीद) को वर्ष 2019 से अनिवार्य कर दिया गया है | बिना WDRA के साथ पंजीकरण के कोई भी परक्राम्य वेयरहाउस रसीद नहीं जारी की जा सकती | केंद्रीय भंडारण निगम के अधिसंख्य भंडार गृह WDRA के साथ पंजीकृत है | अतः केंद्रीय भंडारण निगम में यही पंजीकृत भंडारगृह परक्राम्य वेयरहाउस रसीद जारी करने के लिए अधिकृत है | किसी भी भंडारित अधिसूचित सामग्री के लिए e-NWR (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद) जारी करने के पूर्व उस सामग्री का विश्लेषण कर ग्रेड स्पेसिफिकेशन तथा अन्य विनिर्दिष्टियों को निर्धारित करना एक अनिवार्यता है | केंद्रीय भंडारगृहों में भंडारित की जाने वाली सामग्रियों के ग्रेड स्पेसिफिकेशन निर्धारण के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है | e-NWR मात्र उसी दशा में जारी की जा सकती है जब प्रश्नगत स्टॉक WDRA द्वारा परिभाषित / मान्य/ संस्तुत ग्रेड स्पेसिफिकेशन की अहर्ताएं पूर्ण करता हों | e-NWR मात्र उसी दशा में जारी की जानी है जब उसे सामग्री का ग्रेड स्पेसिफिकेशन पुष्ट रूप से निर्धारित हो जाय तथा जमाकर्ता उससे सहमत हो | किसी भी दशा में said to कंटेंन या said to weight आधार पर e-NWR जारी न की जाय | यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि यद्यपि हर केंद्रीय भंडारगृह पर सभी प्रकार के कृषि उपज के विश्लेषण तथा उसके ग्रेड निर्धारण के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध है | परन्तु कुछ कृषि उपज ऐसी भी है जिनका विश्लेषण तथा उनके ग्रेड निर्धारण केंद्रीय भंडारगृह की प्रयोगशाला में संभव नहीं है | उनका विश्लेषण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में WDRA द्वारा तय मानकों के अनुरूप ही कराया जाय | इस विषय में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय |

It is to inform that e-NWR has been made mandatory by WDRA from the year 2019. No Negotiable Warehouse Receipt can be issued without registration with WDRA. Most of the warehouses of the Central Warehousing Corporation are registered with WDRA. Therefore, only the registered warehouses are authorized to issue negotiable warehouse receipt. Before issuing e-NWR for any stored notified commodity, it is mandatory to analyze that commodity and determine the grade specification and other refractions of that commodity. There is a prescribed procedure for determining the grade specifications of notified commodities to be stored in central warehouses. e-NWR can be issued only if the stock in question fulfills the grade specification defined / accepted /prescribed by WDRA. e-NWR is to be issued only when the grade specification of the commodity is confirmed and it is agreed to by the depositor. In any case, e-NWR should not be issued on said to contain or said to weight basis. It would also be appropriate to clarify that although every central warehouse has the necessary equipment for analysis and grading of all types of agricultural produce, but there are some agricultural produces whose analysis and grading is not possible in the laboratory of the central warehouse. Their analysis of such should be done in NABL accredited laboratory as per the standard/s prescribed by WDRA. Apart from other points in this subject, compliance of the following points should also be ensured.

1.केंद्र पर भंडारण हेतु सामग्री नियमानुसार ही स्वीकार किया जाय | आवक के समय स्टॉक का शत प्रतिशत वजन किया जाय तथा विशलेषण के उपरांत ही स्टॉक को भंडारण हेतु स्वीकार किया जाय | जिन सामग्रियों के विश्लेषण के लिए केंद्र पर सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें हर हाल में NABL लेब से विश्लेषण कराएं | विशलेषण के लिए WDRA द्वारा निर्धारित/ संस्तुत मानको को ही विश्लेषण के लिए मानक माना जाय |

1. The material for storage at the center should be accepted only as per rules. 100% weighment of stock should be done at the time of arrival and only after proper analysis the stock should be accepted for storage. The commodity for which analysis facility is not available at the center, in any case, get them analyzed by NABL lab. For analysis, the standards set/recommended by WDRA should be considered as the standard for analysis.

2.भंडारगृह पर तकनीकी प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए आवश्यक कैलिब्रेटेड उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा भंडार गृह पर प्राप्त स्टॉक का तत्काल विश्लेषण किया जाय तथा जमाकर्ता से विश्लेषण के नतीजों की पुष्टि कराने के उपरांत ही स्टॉक को भंडारण हेतु स्वीकार किया जाय | यदि कोई ऐसा स्टॉक है जिसका विश्लेषण तत्काल भंडारगृह पर संभव नहीं है उसके लिए e- NWR तभी जारी की जाय जब मान्यता प्राप्त लेब उस सामग्री की को टेस्ट करा लिया जाय तथा उसके परिणामों पर जमाकर्ता को भी भेजी जी जाय | उस सामग्री का ग्रेड निर्धारित होने तक e- NWR जारी न की जाय | | ऐसी सामग्री के भंडारगृह पर प्राप्त होने पर प्राथमिकी तौर पर e –NNWR (इलेक्ट्रोनिक नॉन नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद /अपरक्राम्य वेयरहाउस रसीद) जारी कि जाय जिसे रिपोर्ट आने पर जमाकर्ता के अनुरोध पर e-NWR में परिवर्तित किया जाय |

The availability of calibrated instruments required for analysis in the technical laboratory at the warehouse should be ensured and the stock received at the warehouse should be analyzed immediately and the stock should be accepted for storage only after confirming the results of the analysis from the depositor. If there is any stock whose analysis is not possible immediately at the warehouse, then e- NWR should be issued only after the recognized lab gets the material tested and its results are also sent to the depositor. e-NWR should not be issued until the grade of that material is determined. , On receipt of such material at the warehouse, initially e-NNWR (Electronic Non – Negotiable Warehouse Receipt) should be issued, which should be converted into e-NWR on the request of the depositor on arrival of the report.

Note:- खाद्यान्नों, दालों और पिसे हुए अनाज उत्पादों के नमूने लेने की आवश्यकताएं पहले

i)IS 2814: 1978 'छोटे आकार के खाद्यान्नों के नमूने लेने की विधि (पहला संशोधन)',

ii)IS 3714: 1978 'तरीके' में शामिल थीं बड़े आकार के खाद्यान्नों के नमूने के लिए (पहला संशोधन)' और

iii) IS 5315: 1978 'पिसे हुए अनाज और दालों के नमूने लेने के तरीके (पहला संशोधन)'।

ये मानक इस विषय पर पहले की IS अनुशंसा पर आधारित थे। इन मानकों की समीक्षा के दौरान, पाठ को संगत के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया गया IS0 मानक, जिसे एक एकीकृत मानक, IS0 13690 के रूप में अद्यतन और संशोधित किया गया था। इसलिए, इस मानक को IS 2814 आईएस 3714 और आईएस 5315. का स्थान लेते हुए, एकल व्यापक मानक के रूप में संशोधित किया गया है। भारत में यह मानक IS 14818:2017 (रिवीजन :2022) के रूप में स्थापित है | इसी प्रकार अन्य जिंसों के नमूने लेने के हेतु उनके लिए संस्तुत मानक का अनुपालन लिया जाय |

Requirements for sampling of foodgrains, pulses and milled cereal products were earlier covered in IS 2814: 1978 'Method for sampling of smaller size foodgrains (first revision)', IS 3714 : 1978 'Methods for sampling of bigger size foodgrains (first revision)' and IS 5315 : 1978 'Methods of sampling for milled cereals and pulses (first revision)'. These standards were based on the earlier IS0 recommendation on the subject. During the review of these standards, it was decided to align the text with the corresponding IS0 Standard, which had been updated and revised as a single amalgamated standard, IS0 13690.Therefore, this standard has been revised as a single comprehensive standard, superseding IS 281, IS 3714 and IS 5315. In India this standard is Known as IS14818: 2017 (reviewed in 2022). Similarly, for taking samples of other commodities, compliance of relevant standard must be ensured.

3. विश्लेषण के लिए नमूनें भंडारगृह पर पदस्थ तकनीकी स्टाफ द्वारा जमाकर्ता की उपस्थिति में नियमानुसार एकत्रित किये जाय | यदि लेब द्वारा नमूना एकत्र करने की सुविधा दी जा रही है तो उनकी सेवाए ली जाय | नमूने लेने के लिए सम्बंधित commodity के लिए अनुसंसित BIS मानक अथवा WDRA द्वारा संस्तुत मानक का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय |

Samples for analysis should be collected by the technical staff posted at the warehouse in the presence of the depositor as per rules. If the facility of sample collection is being provided by the lab, then their services should be taken. For taking samples, the recommended BIS standard for the concerned commodity or the standard recommended by WDRA should be compulsorily followed.

5. यदि कोई स्टॉक कीट संक्रमित अवस्था में है तो उस स्टॉक का सबसे पहले इनिशियल प्रधूमन किया जाय | तथा कीट मुक्त होने पर ही भंडारित किया जाय |

If any stock is in insect infested condition, then initial fumigation should be done first. And it should be stored only when it is pest free.

4. केंद्र पर लाये गए स्टॉक में से नियमानुसार चार नमूने लिए जमाकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में ही लिए जाएँ | इन नमूनों के साथ भंडारगृह प्रबंधक तथा जमाकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षरित स्लिप नमूने के पूर्ण विवरण के साथ नमूनों के साथ सील की जाय पूर्ण विवरण के साथ तैयार की जाय | नमूनों को इस तरह से सील किया जाय कि उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जा सके | इन नमूनों में से

i) एक नमूना लेब को गुणवत्ता विश्लेषण के लिए भेजा जाय,

ii) एक नमूना जमाकर्ता को दिया जाय तथा

iii) दो नमूने प्रतिनिधि नमूने के तौर पर भंडारगृह पर सुरक्षित रखे जाएँ|

जो नमूनें लेब तथा जमाकर्ता को दिए गए है उनकी विधिवत पावती आवश्यक रूप से प्राप्त की जाय |

As per the rules, four samples should be taken from the stock brought to the center in the presence of the depositor or his authorized representative. With these samples, a slip signed jointly by the warehouse manager and the depositor should be prepared with full details of the sample sealed with the samples. The samples should be sealed in such a way that they cannot be tampered.

i) A sample is sent to the lab for quality analysis,
ii) A sample is given to the depositor and
iii) Two samples should be kept in the warehouse as representative samples.

The samples which have been given to the lab and the depositor must be duly acknowledged.

5. अगर नमूना लेब द्वारा निकला जाता है उस स्थिति में भी बिंदु संख्या 4 पर दी गयी प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य है |

If the sample is taken by the lab, in that case also it is mandatory to complete the process in accordance with point No 4 mentioned above.

6.यदि नमूनें भंडारगृह प्रबन्धक द्वारा अथवा केंद्र पर पदस्थ तकनीकी स्टाफ द्वारा निकला जाता है तो प्रयोगशाला को भेजे जाने वाले नमूने को स्वयं भंडारगृह प्रबंधक अथवा उसके द्वारा अधिकृत केंद्रीय भंडारण निगम के स्टाफ के माध्यम से लेब को हस्तगत करें तथा लेब से उसकी पावती प्राप्त की जाय |

If the samples are taken out by the warehouse manager or by the technical staff posted at the center, then the samples sent to the laboratory should be handed over to the lab through the warehouse manager himself or the staff of the Central Warehousing Corporation authorized by him and the acknowledgment should be obtained from the lab.

7. लेब को भेजे गए नमूने के विषय में भंडारगृह प्रबंधक को अपने पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह कि अमुख मानक के तहत नमूने का विश्लेषण किया जाय है | यदि लेब द्वारा उस मानक के अतिरिक्त किसी अन्य मानक के अंतर्गत रिपोर्ट दीजाती है तो वह मान्य नहीं होगी | मानक का चुनाव भंडार गृह प्रबंधक द्वारा WDRA द्वारा सुझाए गए मानकों मे से ही किया जाना है | रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बंधित रिपॉजिटरी से मानक की पुष्टता की जानकरी प्राप्त कर ली जाय तथा पुष्टि होने पर ही सम्बंधित स्टॉक के पक्ष में e-NWR जारी की जाय अथवा पूर्व में जारी e NNWR को e-NWR में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाय |

Regarding the sample sent to the lab, the warehouse manager should clearly mention in his letter that the sample is to be analyzed under the main standard. If the report is given by the lab under any other standard other than that standard, then it will not be valid. The standard is to be selected by the warehouse Manager from the standards recommended by WDRA. On receipt of the report, information about the confirmation of the standard should be obtained from the concerned repository and only after confirmation, e-NWR should be issued in favor of the concerned stock or the process of converting the previously issued e-NNWR to e-NWR should be completed.

DR ANURAG TRIPATHI
Digitally signed by DR ANURAG TRIPATHI
Date: 2023.08.24 13:58:06 +05'30'

Dr Anurag Tripathi
HOD (PCS & Tech.)

Copy to:

1. PS to Director(M&CP), CWC, CO, New Delhi.

निगमित कार्यालय: 4/1, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास,नई दिल्ली-110016. Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August KrantiMarg,HauzKhas, New Delhi-110016.टेलिफोन:011-26524100/207 ई-मेल– hodtech.cwc@cewacor.nic.in